**छात्र/छात्रा द्वारा देय शपथ पत्र (रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर)**
**समक्ष**
**संस्थागत/जिला समाज कल्याण अधिकारी (जो उचित हो)**

मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... जो ग्राम ..... मुहल्ला..... ..... जनपद ..... का निवासी हूँ। शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ:–

1. यह कि मैं..... मुहल्ला ..... तहसील ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। (सामान्य निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है।)
2. यह कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ठ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हूँ। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र सलंग्न है)
3. यह कि मेरे माता पिता, विधिक अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रूपया दो लाख या इससे कम है।
   (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र/अभिभावक के नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र धोषणा पत्र सहित सलंग्न है।)
4. यह कि सम्पस्रति मैं ..... शैक्षिक संस्थान के ..... पाठ्यक्रम में ..... वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूँ। संस्था ..... विश्वविद्यालय/बोर्ड से मान्यता प्राप्त है।
5. यह कि मैनें उक्त विश्वविद्यालय/बोर्ड में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूगां।
6. यह कि मैने पिछली परीक्षा ..... वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के सम्बन्ध में अलग से शपथ पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है। परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रति सलंग्न है।
7. यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नही मिल रही है। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से अधिक लाभप्रद है।
8. यह कि मेरा बचत खाता संख्या ..... बैंक ..... के ..... शाखा में खुला है।
9. यह कि उक्त संस्था द्वारा मुझे निशुल्क प्रवेश दिया गया है। उक्त शपथ पत्र में 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेंरी पूर्ण जानकारी में है इसमे कोई भी तथ्य छिपाया नही गया है। ईश्वर हमारी मदद करें।

दिनांकः

शपथी के हस्ताक्षर.....
नाम .....
पिता/पति का नाम .....
पता .....

परिशिष्ट–''ख''

## छात्र एवं संस्था के मध्य अनुबन्ध पत्र
## (निर्धारित दर पर नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक ..... को (1) कु0/श्रीमती/श्री .....
आयु ..... वर्ष ..... पुत्री/पत्नी पुत्र श्री .....
जाति ..... निवासी ग्राम/मु0 ..... डाकखाना .....
तहसील ..... जिला ..... जिसे एतत्पश्चात प्रथम पक्ष कहा गया है।

एवं

(2) ..... (संस्थागत) पता .....
जनपद ..... (जहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत है) जो केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसे एतत्पश्चात द्वितीय पक्ष कहा गया है। उसके मध्य निष्पादित किया जाता है।

चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दशमोत्तर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति संबंधी योजना संचालित है, जिसकी पात्रता सम्बन्धी शर्ते आदि दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नियमावली 2012 में अल्लिखित है। उक्त नियमावली के आलोक में दोनो पक्ष निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करते है।:–

01. द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अपने शैक्षिक संस्थान में निःशुल्क प्रवेश उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2012 में अनुपालन में देगा।
02. प्रथम पक्ष, संदर्भित संस्था में प्रवेश पाने पर निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित प्रारूप समस्त वाछिंत अभिलेखों सहित संस्थामें जमा करेगा एवं द्वितीय पक्ष द्वारा नामित अधिकारी प्रथम पक्ष को निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद देगा।
03. द्वितीय पक्ष उपर्युक्त नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम पक्ष की छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु वांछित कार्यवाही सम्पन्न करायेगा।
04. प्रथम पक्ष के बैंक खातें में निमयावली के अनुसाद देय छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि जमा हो जाने पर प्रथम पक्ष बिलम्बतम् 15 दिन के अन्दर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय पक्ष के पक्ष में अन्तरित कर देगा।
05. प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेगा।
06. प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों को छोड़कर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा जो भी हो, में प्रतिभाग करेगा।

07. उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2012 की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष की संस्था को देय समस्त शुल्क वहन करने का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।

| | | | |
|---|---|---|---|
| प्रथम पक्ष : | हस्ताक्षर ..... | द्वितीय पक्ष | हस्ताक्षर ..... |
| | नाम ..... | | नाम व पदनाम ..... |
| | पिता/पति का नाम ..... | | पिता/पति का नाम ..... |
| | पता ..... | | पता ..... |

| | | | |
|---|---|---|---|
| साक्षी सं0–1 | | साक्षी सं0–1 | |
| | हस्ताक्षर ..... | | हस्ताक्षर ..... |
| | नाम ..... | | नाम व पदनाम ..... |
| | पिता/पति का नाम ..... | | पिता/पति का नाम ..... |
| | पता ..... | | पता ..... |